पत्रांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–24 / 2016–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक), बिहार
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/ पटना, दिनांक–

विषय – विभागान्तर्गत गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया परिसर में अबाध विद्युत आपूर्ति के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 11 KV dedicated Feeder की व्यवस्था हेतु रु॰ 75,54,000=00 (पचहतर लाख चौवन हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के पत्रांक–582, दिनांक 08.10.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, गया के पत्रांक–2033, दिनांक 01.10.2018 द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर संस्थान परिसर में अबाध विद्युत आपूर्ति के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 11 KV dedicated Feeder की व्यवस्था हेतु रु॰ 75,54,000=00 (पचहतर लाख चौवन हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105–इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102– पोलिटेकनिक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड–पी 4202021050102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी राजकीय कोषागार, गया से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस स्कीम के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. विमुक्त राशि का व्यय अधिकतम छः (6) माह में कर अभिश्रव सहित BTC-Form-27(C), एवं 27(C) (1) में अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख कोषागार, गया को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–24/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–24/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–24/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, गया को उनके पत्रांक–2033, दिनांक 01.10.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–24/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया को उनके पत्रांक–582, दिनांक 08.10.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–24/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–24/2016– 3290 /पटना, दिनांक– 6.12.018

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/12/18
सरकार के उप सचिव

05/12/18